N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0252 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/11/2024 18:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 13/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/11/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/11/2024 18:14:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE STATION NAIRENA, DISTRICT JAIPUR RURAL

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURAJ DUDI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOPIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1951 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SOLAWATA, PHULERA, NARENA, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SOLAWATA, PHULERA, NARENA, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TARACHAND POONIYA		पिता:BHANWAR LAL	1. GRAM DEHRA POST JOBNER,JOBNER,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात प्रकरण इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10.09.2024 को अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर-प्रथम ने परिवादी श्री सूरजमल डूडी पुत्र श्री गोपीराम गांव सोलावता तहसील फुलेरा थाना नरैना जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है व मेरे हस्ताक्षर हैं। परिवादी सूरजमल ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं गांव सोलावता तहसील फुलेरा जयपुर का रहने वाला हूं और नरैना-रूपनगढ़ रोड़ सोलावता के पास चाय की दुकान चलाता हूं अभी कुछ समय पहले पुलिस थाना नरैना जयपुर में एक हत्या का मुकदमा संख्या 231 वर्ष 2024 दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस ने हत्या के आरोपियो को गिरफ्तार किया जो उनके परिवार वाले ही है और जाति से बावरिया है करीब पांच छः दिन पहले पुलिस थाना नरैना का हैड कानिस्टेबल ताराचंद मेरी दुकान पर आया और बोला नरैना थाने पर ईचांर्ज दिलीप सिंह जी तुम को बुला रहे है मेरे द्वारा कारण पूछने पर उसने कहा कि तेरे खिलाफ भी इस मुकदमा संख्या 231 में नाम है तुझे थाने पर आना ही पडे़गा जिस पर मैं उसके कहे अनुसार उसी दिन कुछ समय बाद मैं थाने पर अकेला गया। जहां ताराचंद मुझे मिला और मुझे दिलीप सिंह ईचांर्ज साहब से मिलवाया जहां दिलीप सिंह मुझे बोला बावरियो की जमीन की खरीद फरोख्त की दलाली में तू शामिल है तेरा नाम भी इस मुकदमें में है। जिस पर मैंने हाथा-जोड़ी करते हुये कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मुझे क्यों इस मुकदमें में झूंठा फंसा रहे हो लेकिन वो नहीं माने और मुकदमे से नाम निकालने के लिए इंर्चार्ज दिलीप सिंह और ताराचंद ने मुझसे 3 लाख रूपये रिश्वत के मांगे जिस पर मैंने इंर्चार्ज साहब के हाथ पैर पकड़े तो वो बोले कि ताराचंद से बैठकर बात कर ले वो तुझे सब समझा देगा तेरा काम हो जायेगा। इसके बाद मैं थाने से वापस आ गया उसके बाद से ताराचंद मोबाईल नं. [redacted] से मुझे मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर बार-बार फोन करके रिश्वत के रूपयें मांगने के लिए बुला रहा है। मैं ताराचंद और दिलीप सिंह को रिश्वत के रूपयें नहीं देना चाहता हुं मेरी इनसे कोई रंजिश व उधार या लेनदेन बकाया नहीं है रिपोर्ट करता हुं कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाई जाकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की गई तथा कार्यालय के श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन वार्ता करवाने के निर्देश दिये जाकर परिवादी को उसके वाहन से तथा श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। उसके बाद आलोक कुमार एएसआई ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी का संदिग्ध आरोपी से मोबाईल पर सम्पर्क होने पर परिवादी ने बताया है कि संदिग्ध आरोपी डयूटी स्थल से गांव चला गया है, इसलिए आज सत्यापन की कार्यवाही होना संभंव नहीं है, जिस पर श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. वापस कार्यालय में उपस्थित होने व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखकर दिनांक 11-09-2024 को पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से प्राप्त कर सत्यापन हेतु परिवादी से सम्पर्क करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 11-09-2024 को कार्यालय से रवानाशुदा आलोक कुमार एएसआई ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि हम आज समय करीब 0500 एएम पर कार्यालय आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर सत्यापन हेतु रवाना होकर सावंरदा मोड़ पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क कर लिया है परन्तु अभी तक परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी का फोन नहीं आया है। जिस पर श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को अपनी उपस्थिती वहीं पर रखने की हिदायत मुनासिब की गई। उसके बाद दिनांक 11.09.24 को समय 0830 पीएम पर आलोक कुमार एएसआई ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अभी तक परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी का फोन नहीं आया है। चूंकि परिवादी को संदिग्ध आरोपी कभी भी बुला सकता है। जिस पर श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को वहीं पर रात्रि विश्राम करने व परिवादी से सम्पर्क बनाये रखने की हिदायत मुनासिब की गई। उसके बाद दिनांक 12.09.24 को समय 0238 पीएम पर आलोक कुमार एएसआई ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कल दिनांक 11.09.2024 को परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी का फोन नहीं आया था तथा परिवादी को संदिग्ध आरोपी के कभी भी बुलाये जाने कि सभांवना को देखते हुये निर्देशानुसार हम यहीं मुकिम रहे तथा आज सुबह हम परिवादी के ढ़ाबे (चाय की दुकान) से आगे के ढ़ाबे पर

मुकिम होकर परिवादी के फोन का इंतजार किया। अभी कुछ देर पहले परिवादी का फोन आया है जिसने बताया है कि संदिग्ध आरोपी खुद ही उसके ढ़ाबे पर आकर गया है व कल थाने पर ईन्चार्ज साहब के उपस्थित होने पर समय 1000 एएम पर परिवादी को थाने पर आने को कहा है। जिस पर श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को वापस कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। उसके बाद दिनांक 12.09.24 को समय 0515 पीएम पर श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. कार्यालय में उपस्थित होकर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसको कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखकर अगले दिन दिनांक 13.09.24 को प्रातः पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से प्राप्त कर सत्यापन हेतु परिवादी से सम्पर्क करने के निर्देश दिये गये। उसके बाद दिनांक 13.09.24 को प्रातः कार्यालय से रवानाशुदा श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. ने दिनांक 13.09.24 को समय 1152 एएम पर जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि हमने कार्यालय आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुबह कार्यालय से रवाना होकर समय 1000 एएम पर परिवादी के ढ़ाबे (चाय की दुकान) पर पहुंचे। उसके बाद परिवादी के साथ पुलिस थाना नरैना से पहले पहुंच कर समय 1046 पर हमने परिवादी को एसडी कार्ड लगा हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी की मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत कर थाने के अन्दर भेजा व हम अपनी उपस्थित छुपाकर मुकिम रहे। जहां परिवादी की संदिग्ध आरोपी से वार्ता हुई। उसके बाद परिवादी ने पुलिस थाने के बाहर आकर हमें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर सुपुर्द किया जिसको हमने हमारे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री तारांचद हैड कानि. से रिश्वत के संबंध में वार्ता हुई जो मैंने एसडी कार्ड लगे हुये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिस पर श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित रखने की हिदायत की गई व परिवादी को भी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित अपने साथ कार्यालय में लाने की हिदायत की गई जिस पर श्री बंशीधर कानि. ने बताया कि अभी परिवादी को आवश्यक कार्य होने से आज कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की है जिस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-09-204 को समय 1000 एएम पर आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पांबद करने की हिदायत की गई व श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। उसके पश्चात दिनांक 14.09.24 को समय 1000 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस व कार्यालय स्टाफ तथा श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. कार्यालय में उपस्थित आये। श्री आलोक कुमार एएसआई व श्री बंशीधर कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि हम कल दिनांक 13.09.24 को समय 1000 एएम पर कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के ढ़ाबे पर पहुंचे। उसके बाद परिवादी के साथ पुलिस थाना नरैना से पहले पहुंच कर समय 1046 पर हमने परिवादी को एसडी कार्ड लगा हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी की मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत की जाकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से थाने के अन्दर भेजा व हम अपनी उपस्थित छुपाकर मुकिम रहे। जहां परिवादी की संदिग्ध आरोपी से वार्ता हुई। उसके बाद परिवादी पुलिस थाना से अपनी मोटर साईकिल पर आकर हमें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर सुपुर्द किया जिसको हमने हमारे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध श्री तारांचद हैड कानि. से रिश्वत के संबंध में वार्ता हुई जो मैंने एसडी कार्ड लगे हुये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिसके बाद परिवादी को आवश्यक कार्य हो जाने से परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित आज समय 1000 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत कर वहां से रवाना होकर समय 0215 पीएम पर कार्यालय में पहुंच कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रख दिया था। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय आलमारी में सुरक्षित हालत में रखा हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री ताराचंद हैड कानि. द्वारा परिवादी से उसके विरुद्व दर्ज मुकदमें में नाम निकालने की ऐवज में 02 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेना तय करना पाया गया। चूंकि इस कार्यालय के पत्रांक 1181 दिनांक 12.09.2024 के द्वारा पूर्व से ही गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. से 02 स्वतंत्र गवाहान पांबद करवाये जाने पर उप महाप्रबन्धक राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा अपने कार्यालय से 02 स्वतंत्र गवाह 1. श्री देवेश जागा व 2. श्री हेमेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक को पूर्व से ही पांबद किया होने पर उक्त दोनों गवाहान को उक्त कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत करने पर पांबदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश जागा कनिष्ठ सहायक व श्री हेमेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. कार्यालय में उपस्थित आये हैं। जिनसे उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत पूछा तो दोनों ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमती व्यक्त की। उसके बाद पांबदशुदा परिवादी श्री सूरजमल भी कार्यालय में उपस्थित आया। जिसने मन उप अधीक्षक पुलिस को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैंने दिनांक 10.09.2024 को श्री ताराचंद हैड़कानि व ईंचार्ज दिलीप सिंह पुलिस थाना नरैना के विरूद् रिश्वत राशि मांगने पर आपके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर मैने दिनांक 13.09.2024 को ताराचंद हैडकानि से उसके द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में वार्ता रिकार्ड की थी लेकिन कल दिनांक 13.09.2024 को रात में ताराचंद हैडकानि मेरे पास आया जिसने मुझे कहा कि तू हमें

रिश्वत के आरोप में पकड़वाना चाहता है अब तू इस मामले के बारे में हमारे पास मत आना। अतः इस मामले में अब वो मुझसे रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेगे। इसलिए किसी भी सूरत में ट्रैप कार्यवाही सम्भव नहीं होने पर अब मैं स्वेच्छा से आगे की कार्यवाही नहीं कराना चाहता हूं निवेदन है अब तक हुई कार्यवाही के अनुसार आप कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे व बताया कि संदिग्ध आरोपीगण अब उससे रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेंगे। चूंकि प्रकरण में संदिग्ध कर्मचारियों द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभांवना नहीं होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। तत्पश्चात परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश जागा कनिष्ठ सहायक व श्री हेमेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवलोकन कराया गया। उसके पश्चात दिनांक 14.09.2024 को समय 0630 पीएम पर दिनांक 13.09.2024 को परिवादी श्री सूरजमल की संदिग्ध आरोपी श्री ताराचंद हैडकानि. से हुई रुबरु रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता के एसडी कार्ड को स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेश जागा कनिष्ठ सहायक व श्री हेमेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री सूरजमल के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय आलमारी से निकाला जाकर दिनांक 13.09.2024 को परिवादी श्री सूरजमल की संदिग्ध आरोपी श्री ताराचंद से हुई रुबरु रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्ड वाईस क्लिप को गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप की सहायता से सुना गया एवं पूर्व में तैयार की गई उक्त सभी वार्ता रूपान्तरण का संबंधित वॉईस क्लिप से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द मिलान किया गया तथा सबंधित समस्त ने वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आवाज परिवादी श्री सूरजमल द्वारा अपनी स्वयं की व संदिग्ध आरोपी श्री ताराचंद की आवाज होना पहचान की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु 05 खाली डीवीडी मंगवायी जाकर पांचो डीवीडी को खाली होना सुनिश्चित कर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार पांचो डीवीडी में राईट/बर्न की जाकर रिकॉर्ड वार्ता डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पाचों डीवीडी पर अलग-अलग डीवीडी मार्क ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 व ए-5 क्रमशः अंकित किया जाकर पाचों डीवीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उनमें से तीन डीवीडी मार्क ए-1, मार्क ए-2 एवं ए-3 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे़ की थैलियों में रख कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली जाकर डीवीडी मार्क ए-1, मार्क ए-2 तथा मार्का ए-3 आरोपी क्लोन कॉपी को जमा मालखाना करवाया गया तथा डीवीडी मार्क ए-4 आईओ कॉपी अनुसंधान हेतु तथा डीवीडी मार्क ए-5 एडीपी कॉपी पत्रावली के संलग्न खुली रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड को पृथक से प्लास्टिक कवर में डालकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी श्री ताराचंद हैड कानि. तथा परिवादी श्री सूरजमल के मध्य निम्न वार्ताऐं किः-

परिवादी- बताओ कत्ता तानी करा कता कम करा कता हुया..... एसओ- थे क्यूं टेन्सन ले रह्या छो मैं बैठा हूँ एसओ- मैडम आव जब हो साईन वो यान छै मैडम आवे जद बुलाणो पड़े थाणे थे आज आ गा। मैडम आवेली जणे मेडम के सामने होवे थाने दुबारा साईन करबा न बुलाबो चाहूं लाईटा कट री बार बार एसओ- ब पूछताछ नोट तो बनावा थाका व बनवावा तो सही कागज पानडा जनदाडा बयान वयान कौन लीया छा कि थाका (आपका पूछताछ नोट बनायेंगे उस दिन बनाये तो थे ना कागज पत्र बयान वगैरह लिये थे ना आपके) परिवादी- आपण तो दो बात का टपा तो करल्यो मैं म्हारी व्यवस्था करल्यूं एसओ- ब पूछताछ नोट तो बनावा थाका व बनवावा तो सही कागज पानडा जनदाडा बयान वयान कौन लीया छा कि थाका परिवादी- दे तो म सू पण थे तो बताओ मन बता दयो थांका हिसाब सू (देना तो मेरे को ही है लेकिन आप मेरे को बता दो आपके हिसाब से) एसओ- ऐ तो दो लाख रुपया बताया छै (इन्होंने तो दो लाख रुपये बताये थे) परिवादी- दो लाख तारा जी खड़े सू ल्याउलां म (दो लाख रुपये ताराचंद जी कहां से लेकर आऊंगा मैं) एसओ- मन ध्यान छै थे थाके मुंह फाड़ र खे रया कोन छा के (मेरे को पता है आपका मुंह फाड़ रखा है उन्होंने) परिवादी- व तो मांग बा न मांग रया छै दो लाख कड़े हूं दयूला बताओ (वो तो मांगने को मांग रहे है दो लाख रुपये कहां से देऊंगा आप बताओ) एसओ- फेर बताओ तो (तो फिर बताओ) परिवादी- बतावे थे ला म कांई बताऊ (बताना तो आपको ही पड़ेगा मैं क्या बताऊ) एसओ- यान करो थे म्हारा आदमी छो थे तीस हजार रुपया ले आ ओ नगद ईचांर्ज न दे आ ओ म्हारी साथ चाल र और बोलो तुरन्त ल्याओ काम करणी छै तो कर करार अर थाके लिये समझगा थे तो पचास बता रयो छू ईचांर्ज कण गया र म खऊं लो आगला को दोष काई छै भापड़ा को क्यो मारो छो ईने वा कंजरा को तो आपा ही माना छा बताओ (ऐसा करो आप हमारे आदमी हो तीस हजार रुपये ले आओ नगद ईचांर्ज को दे आओ मेरे साथ चलकर और बोलो। तुरन्त लेकर आ जाओ काम करना है तो कर कराके और आपके लिये समझ गये आप तो पचास बता रहे हो। ईचांर्ज के पास जाकर मैं कहुंगा कि अगले का क्या दोष है बिचारे को क्यों मार रहे हो इसको। उन कंजरो को तो अपने ही मान रहे है बताओ) परिवादी- ठीक छै (सही है) एसओ- अबार ही ल्या दयो अबा ही आवा चाल र (अभी लाकर दे दो अभी चलकर आते है) परिवादी- ल्याऊ छूं (ला रहा हूं) एसओ- ज्यादा टेम लगाओ मत (ज्यादा समय मत लगाओ) आदि वार्ताऐं होना पाई गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री ताराचंद हैड कानि. पुलिस थाना नरैना जिला जयपुर ग्रामीण व अन्य द्वारा अपने

पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से आपसी षड़यंत्र करके परिवादी श्री सूरजमल से पुलिस थाना नरैना में अन्य व परिवादी के विरुद् दर्ज मुकदमा सं. 231/2024 में परिवादी का नाम निकालने की ऐवज में थानाधिकारी नरैना श्री दिलीप सिंह व स्वंय के लिए 02 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 30,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। थानाधिकारी नरैना श्री दिलीप सिंह की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है जो अनुसंधान से स्पष्ट होगी। अतः आरोपी श्री ताराचंद पूनिया पुत्र श्री भंवरलाल निवासी ग्राम डेहरा पोस्ट जोबनेर जिला जयपुर हाल हैड कानि. 600, पुलिस थाना नरैना जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर-प्रथम जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी,उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री ताराचंद पूनिया पुत्र श्री भंवरलाल निवासी ग्राम डेहरा पोस्ट जोबनेर जिला जयपुर हाल हैड कानि. 600, पुलिस थाना नरैना जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश किलानिया, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 63 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1383-86 दिनांक 07-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर। 2-पुलिस अधीक्षक,जयपुर ग्रामीण, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** OMPRAKASH KELANIA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/10/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)